संख्याः 637 /I(2)/2014-07/03/2012

प्रेषक,

संजीव कुमार शर्मा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 28 मार्च, 2014

विषयः– **एoडीoबीo वित्त पोषित परियोजना हेतु ऋण के रूप में धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 206/प्र0नि0/पिटकुल/जी–1 दिनांक 24.02.2014 शासन के पत्र संख्या 780/I(2)/2013-07/03/2012 दिनांक 25.05.2013 एवं 1023/I(2)/2013-07/03/2012 दिनांक 05.06.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एoडीoबीo सहायतित 400 के0वी0 श्रीनगर सब स्टेशन के निर्माण हेतु ₹ 1.00 करोड (₹ एक करोड मात्र) ऋण के रूप में धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

4– उक्त धनराशि का दिनांक 30.03.2014 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।

6– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 विषयंक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।

7– अवमुक्त की जा रही धनराशि के प्रतिपूर्ति दावे सक्षम स्तर के माध्यम से एoडीoबीo को प्रस्तुत कर धनराशि की समय से प्रतिपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8– एoडीoबीo से ऋण की किश्तों का आहरण निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समय से कर लिया जायेगा तथा योजनाओं का कियान्वयन भी निर्धारित समय में पूर्ण किया जायेगा अब तक राज्य सरकार से ऋण के रूप में आवंटित धनराशि के सापेक्ष एoडीoबीo/भारत सरकार से प्रतिपूर्ति शीघ्र कराई जाए एवं प्राप्त प्रतिपूर्ति सहित लम्बित धनराशि की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाय। साथ ही ऋण तथा राज्यांश की धनराशि अनुपातिक आधार पर ही आगे अवमुक्त कराई जाय।

......2

9– योजना हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि, अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि व वर्तमान में आवंटित की जा रही धनराशि योजना हेतु कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही रहेगी।

10– ऋण के रुप में दी जा रही धनराशि के मूलधन एवं ब्याज की वापसी ए0डी0बी0 एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुये निर्धारित समय सारिणी में किया जायेगा।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष संलग्न विवरण 'क' के अनुसार वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 899 /XXVII(2)/2014, दिनांक 25 मार्च, 2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।

संख्याः 637 /I(2)/2014-07/03/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबाराय बिलिडिंग सहारनपुर रोड देहरादून उत्तराखण्ड।
2– महालेखाकार, (आडिट) इन्द्रानगर देहरादून।
3– जिलाधिकारी देहरादून।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एम0ओ0 (ए0डी0बी0)।
7– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
8– बजट नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
अनु सचिव।